Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी 3
- उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने का डोर टू डोर अभियान 3
- सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले बने योगी आदित्यनाथ 4
- उत्तर प्रदेश के चार और ज़िलों में गोंड जाति को मिला एसटी का दर्जा 4
- सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधानभवन 5
- उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर 5
- पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी सर्वे रिपोर्ट 6
- उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति-2023 6
- नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट की मंज़ूरी 8
- उत्तर प्रदेश में खुलेंगे चार नए निजी विश्वविद्यालय 8
- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का शुभारंभ 9
- संस्कृत सीखने के लिये बनाया ऑनलाइन गेम एप 'शास्त्रार्थ' 9
- उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 10
- उत्तर प्रदेश में एकल अभिभावक अफसरों को भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति 11
- हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी 11
- एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे प्रदेश के 5 बस अड्डे 12
- प्रदेश के 44 हज़ार प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा 13
- उत्तर प्रदेश में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार 13
- मुख्यमंत्री ने किया ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन 14
- उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित 15
- प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट-2023 का किया उद्घाटन 15
- 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन-1962 का शुभारंभ 16
- पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को 'कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स'का दर्जा मिला 16
- मनरेगा मजदूरों के लिये नई दरों की घोषणा 17
- उत्तर प्रदेश में लागू होगी कबाड़ नीति 17
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर 18
- एकेटीयू के छात्रों ने बनाया मशीन लर्निंग वाला रोबोट 19

नोट :

उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ ही अब पूर्वांचल के गोरखपुर में रिजनल फिल्मी सिटी खोलने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत कारोबारी अतुल गर्ग 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
- भोजपुरी भाषा की सबसे महंगी फिल्म के फिल्मांकन के बाद ही अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर में रिजनल फिल्मी सिटी खुलने के बाद पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना होगा। बता दें कि गोरखपुर क्षेत्र भोजपुरी एवं नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है।
- 500 करोड़ रुपए के निवेश से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर को फिल्म सिटी के लिये बेहतर विकल्प बताया जा रहा है।
- अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दो हज़ार करोड़ रुपए से ऊपर का उद्योग बन चुकी है। भोजपुरी के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज व अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने का डोर टू डोर अभियान

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिये नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में 'डोर टू डोर' अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना होगा।

प्रमुख बिंदु

- मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में 'डोर टू डोर' अभियान के तीसरे चरण में गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होगा।
- उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़े को अलग-अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया।
- इस अभियान के तीन चरण हैं- पहला चरण प्रार्थना व दूसरा सहमति था। दूसरा चरण 3 मार्च को समाप्त होगा।
- तीसरे व अंतिम चरण में कूड़े को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निकाय परिधि में स्थित गेटेड कालोनी, आरडब्लयूए कालोनी व बल्क वेस्ट निकालने वालों का चालान किया जाएगा। लोगों को पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से चालान के बारे में सचेत किया जाएगा तथा निकाय अधिकारी रोजाना निरीक्षण कर इसका पालन न करने वालों का चालान करेंगे।
- नेहा शर्मा ने बताया कि 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लेकर विशेष रूप से निर्देश जारी किए हैं। यहाँ जुर्माने की राशि अधिक रहने वाली है।

नोट :

- उन्होंने बताया कि सबसे कम जुर्माना नगर पंचायतों में लगेगा। यहाँ एक तो आबादी कम होती है और साथ में संसाधनों का अभाव होता है। लोगों को जागरूक करने के लिये यहाँ तीन चरण में अभियान भी चलेगा।
- नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था के लिये निजी कंपनी स्वच्छता कारपोरेशन के साथ करार किया है तथा कंपनी के कामकाज पर नज़र रखने के लिये नगर निगम फीडबैक संस्था के साथ करार किया गया है।
- कंपनी को साफ निर्देश दिया गया है कि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके लेना है। अलग-अलग कंटेनरों में ही कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने चमड़े की कतरन, पेठे का वेस्ट और गोबर के लिये अलग-अलग गाड़ियाँ चला रखी हैं।

सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले बने योगी आदित्यनाथ

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय में 5 साल और 347 दिन पूरे किये और कॉन्ग्रेस के डॉ. संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया, जो 1954 से 1960 तक 5 साल और 345 दिनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च, 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 25 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके पहले वे गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे।
- सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार 5 साल 4 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। बसपा प्रमुख मायावती लगातार 4 साल 307 दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती चार बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। मुलायम सिंह यादव लगातार 3 साल 257 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं में से हैं जिनके नेतृत्व में किसी एक पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में आई और वे दोबारा मुख्यमंत्री बने।
- योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पाँच साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता सँभाल चुके हैं। इसके पहले कोई भी बीजेपी नेता लगातार पाँच साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ के अलावा गोविंद बल्लभ पंत, मायावती और अखिलेश यादव ही लगातार पाँच साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा कोई नेता पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था।
- कॉन्ग्रेस के नारायण दत्त तिवारी के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में किसी एक पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई है। 37 साल पहले नारायण दत्त तिवारी ने दोबारा अपनी सरकार बनाई थी।

उत्तर प्रदेश के चार और ज़िलों में गोंड जाति को मिला एसटी का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार और ज़िलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- समाज कल्याण के प्रमुख सचिव डा. हरिओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) व (अनुसूचित जनजातियाँ) उत्तर प्रदेश के क्रम में (अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी है।

नोट :

- इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब चार और ज़िलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली व भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधानभवन

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि देश के नए संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही नए विधानभवन की सौगात मिलेगी। 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि वर्ष 2027 के पहले नये विधानभवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसे पूरी तरह ईको फ्रेंडली, भूकंपरोधी और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- मौजूदा भवन के काफी पुराने हो जाने, बढ़ती जरूरतों के मुताबिक जगह कम होने, आसपास भारी यातायात का दबाव के चलते अन्यत्र नया विधानभवन बनाने की तैयारी है। इसके लिये प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा का कम से कम एक सत्र का आयोजन नए विधानभवन में हो। नए विधानभवन का निर्माण बढ़ती ज़रूरतों के अनुसार किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मौजूदा विधानभवन करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर, 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी। यह भवन करीब छह साल में बनकर तैयार हुआ था तथा 21 फरवरी, 1928 को इसका उद्घाटन किया गया गया था।
- मौजूदा विधानभवन का निर्माण कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। इसके मुख्य आर्किटेक्ट सर स्विनोन जैकब और हीरा सिंह थे। उस समय विधानभवन के निर्माण के लिये 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे।
- उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधानभवन यूरोपियन और अवधी निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है।
- जुलाई 1935 में विधान परिषद की बैठकों और कार्यालय कक्षों के लिये एक अलग चेंबर का प्रस्ताव किया गया था। एक्सटेंशन भवन का निर्माण मुख्य वास्तुविद एएम मार्टीमंर द्वारा कराया गया था। इसे लोक निर्माण विभाग की देखरेख में नवंबर 1937 में पूरा किया गया था। विधानपरिषद में फिलहाल 100 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है।
- ज्ञातव्य है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में दिल्ली में नए संसद भवन के साथ ही केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक काल के स्मारकों को टक्कर देने वाली स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा।

उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर

चर्चा में क्यों ?

5 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के बरेली मंडल में पाँच लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिये बरेली मंडल के चारों ज़िलों के पाँच मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बरेली, पीलीभीत और बदायूं में एक-एक और शाहजहाँपुर की दो ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। लर्निंग सेंटर पर ग्रामीणों को खेती-किसानी से लेकर उद्यमी बनने तक की बारीकियाँ सिखाई जाएंगी।

नोट :

- शासन ने पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिये 25 लाख का बजट जारी कर दिया है। एक सेंटर को विकसित करने में पाँच लाख की रकम खर्च होगी। प्रोजेक्टर समेत ट्रेनिंग के लिये तमाम ज़रूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।
- महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार गाँव स्तर पर विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने के प्लान पर अमल करा रही है। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी तय की जा रही है। गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ उनका फायदा लेने का तरीका समझाया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतों को लर्निंग सेंटर के लिये चुना गया, जहाँ पंचायत भवन और सामुदायिक केंद्र की बिल्डिंग अच्छी थी। पंचायत घर में कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और बाउंड्रीवाल बनी थी। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर मौजूद थे।

पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी सर्वे रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिये गठित उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि निकाय चुनाव के लिये नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिये थे।
- इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक ज़िलों का सर्वे कराके रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये थे, लेकिन यह रिपोर्ट तय समय-सीमा से करीब 22 दिन पहले ही सरकार को सौंप दी गई है। 350 पेज की इस रिपोर्ट को 2 महीने 10 दिन में तैयार किया गया है।
- गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर, 2022 को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पाँचसदस्यीय आयोग का गठन किया था। गठन के बाद आयोग ने प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में पिछड़ों की आबादी का सर्वे कराने के साथ ही रैपिड सर्वे में दिखाए गए पिछड़ी जाति के आँकड़ों, पूर्व में शासन द्वारा जारी आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रिया आदि का परीक्षण किया।
- आयोग ने ज़िले में भ्रमण के दौरान चक्रानुक्रम आरक्षण और रैपिड सर्वे प्रक्रिया में मिली खामियों एवं उन्हें दूर करने के लिये सुझाए गए उपायों के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
- आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट में मंज़ूरी दी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी।
- आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलट-फेर होगा। नगर विकास विभाग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर व अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण करेगा। अनारक्षित कई सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं।
- विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का काम शुरू करा दिया जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी, जिससे इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति-2023

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति-2023 को हरी झंडी दे दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज़ पर 'राज्य खेल प्राधिकरण'का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा।
- इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिये निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग-अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किये जाएंगे तथा राज्य में पाँच हाई परफारमेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
- प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशंस व खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इसका फायदा मिलेगा।
- सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन और अकादमियाँ अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। राज्य सरकार पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से राज्य में खेलों की सहायता के साथ-साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी सहयोग करेगी।
- नई खेल नीति के तहत गठित किया जाने वाला 'राज्य खेल प्राधिकरण'भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की तर्ज़ पर काम करेगा। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा तथा प्रशिक्षण, कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा।
- खेल नीति के लागू हो जाने से देश एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हासिल करेंगे तथा खेलों में रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालनकर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी।
- खेल विश्वविद्यालय में खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के ज़रिये इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ेंगे। खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिये खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी तथा सेवा प्रदाताओं में वृद्धि होगी।
- राज्य में खेलों के लिये 10 करोड़ रुपए से एक 'राज्य खेल विकास कोष'बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा मिलेगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध होंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार, हर पंजीकृत खिलाड़ी का पाँच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिये भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी।
- खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिये उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिये खिलाड़ियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है -
  - पहली श्रेणी में ग्रास रूट (ज़मीनी स्तर) के खिलाड़ी होंगे। इन्हें शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - दूसरी श्रेणी डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर विकसित करने के लिये एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
  - तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे। ये वो स्थापित खिलाड़ी होंगे, जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया जाएगा।
- कैबिनेट मीटिंग में खेल नीति के अलावा भी मंत्रिपरिषद से खेलों से जुड़े कुछ और प्रस्तावों को भी मंज़ूरी मिली है। इनमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिये विभिन्न कमेटियों को एक्टिवेट करने से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है।
- इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम, ओपेन जिम निर्माण, संचालन प्रबंधन के लिये नीति बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि नई पीढ़ी को सुविधाएँ दी जाएँ और होनहार खिलाड़ी गाँव से निकलें तथा प्रदेश का नाम रोशन करें।

नोट :

नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिये वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है।
- इसके तहत कार्रवाई करने पर उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तीन बिंदुओं पर कार्रवाई करने पर पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
- इसके तहत प्रदेश सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराए जाने, निक्षेप प्रमाणपत्र के सापेक्ष क्रय किये गए वाहनों को कर में छूट प्रदान किये जाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किये जाने वाले वाहन पर लंबित बकाया कर में एकमुश्त छूट प्रदान किये जाने की कार्रवाई करनी है।
- प्रदेश में पुराने एवं निष्प्रयोज्य हो चुके व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया करों में छूट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर बकाया करों में 75 फीसदी तक छूट दी जाएगी।
- नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत यह छूट अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। यह छूट वाहन स्वामी को वाहन पर छूट के बाद देय धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर ही प्राप्त होगी।
- कैबिनेट से मंज़ूर किये गए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा चार के अधीन गैर-व्यावसायिक एवं व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया कर में छूट के लिये अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसके तहत वर्ष 2003 में या इसके बाद और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर 50 फीसदी की छूट होगी।
- इसी तरह वर्ष 2008 में या इसके बाद और 2013 में या इसके पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ने वाले राज्य के ज़िलों में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के डीज़ल चालित वाहनों पर भी 50 फीसदी की छूट होगी।
- रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट होगी, लेकिन यह वाहनों पर जुर्माने की छूट देय सभी बकाया करों पर अनुमन्य होगी।

उत्तर प्रदेश में खुलेंगे चार नए निजी विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चार नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इज़ाजत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उच्च शिक्षा विभाग जल्द इन्हें आशय-पत्र जारी करेगा और फिर इनका निर्माण शुरू होगा।
- इन विश्वविद्यालयों में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर, टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं।
- इस संबंध में जारी किये गए एक बयान में कहा गया है कि नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र जारी करने का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- आशय-पत्र जारी होने के बाद दो साल के अंदर इन विश्वविद्यालयों को सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। औपचारिकताएँ पूरी नहीं करने पर आशय-पत्र निरस्त हो जाएगा।

नोट :

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

11 मार्च, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय चरागाह एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान, झाँसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला कृषक सम्मेलन भी हुआ।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस प्रकार के बीज प्रसंस्करण की 3 इकाइयाँ धारवाड़ और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की गई हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा 7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से वित्तपोषित किया गया है।
- महिला कृषक सम्मेलन के दौरान संस्थान/केंद्रों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप-परियोजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला कृषकों को 50 लाख रुपए मूल्य के कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।
- चरागाह एवं चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास और उनके प्रबंधन एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झाँसी में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (Indian Grassland and Fodder Research Institute) की स्थापना सन् 1962 में की थी।
- झाँसी में लगभग सभी प्रमुख घासें पाई जाती हैं, इसी दृष्टि से यहाँ संस्थान की स्थापना की गई, बाद में वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को सौंप दिया गया।
- जलवायु तथा कृषि की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत के अन्य भागों में इस संस्थान के तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किये गए हैं, जो अंबिका नगर (राजस्थान), धारवाड़ (कर्नाटक) एवं पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में स्थित हैं।

संस्कृत सीखने के लिये बनाया ऑनलाइन गेम एप 'शास्त्रार्थ'

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज युइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय (ईसीसी) में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. आरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिये ऑनलाइन गेम एप बनाया है, जिसे 'शास्त्रार्थ' नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- शास्त्रार्थ एप न केवल खेल-खेल में संस्कृत सीखने बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये भी उपयोगी साबित होगा।
- संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. आरुणेय के निर्देशन में तैयार इस एप के जरिये संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकता है। खेल के तीन प्रारूप हैं। तीनों प्रारूपों के लिये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये 30 सेकेंड का समय मिलेगा।
- प्ले एलोन में जहाँ इसे केवल अकेले खेला जाएगा, वहीं प्ले विद फ्रेंड्स एवं प्ले ऑनलाइन में दो व्यक्ति आपस में कहीं से भी इसे मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर ऑनलाइन खेल सकेंगे। जो अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा, वह विजेता घोषित होगा। उत्तर बराबर होने पर कम समय में सही उत्तर देने वाला व्यक्ति विजेता घोषित होगा।
- गौरतलब है कि डॉ. आरुणेय मिश्र ने छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिये इस एप को तैयार किया गया है। इस गेम एप से संस्कृत के प्रति छात्रों में रूचि भी पैदा होगी।
- संस्कृत भाषा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिये भी मददगार साबित होगा। खास तौर से इस एप का उद्देश्य यह भी है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र भी इस एप के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
- डॉ. मिश्र ने बताया कि एक और एप पर भी काम चल रहा है, जो युवा और किशोरावस्था के छात्रों को संस्कृत के प्रति आकृष्ट करने में सहायक होगा।

नोट :

- विदित है कि संस्कृत भाषा से संबंधित ऑनलाइन गेम का इस तरह का यह पहला एप है। यह एप पूर्णतया निशुल्क है।
- डॉ. आरुणेय मिश्र ने बताया कि पाठ्यक्रम के अनुसार समय-समय पर एप को अपडेट भी किया जाएगा। वर्तमान में इस एप पर 2000 प्रश्नों का संकलन है। प्रति माह इसमें पुराने प्रश्नों के साथ 1000 नवीन प्रश्न जुड़ते जाएंगे।
- प्ले स्टोर पर 'शास्त्रार्थ' डालने पर इस एप को वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023

चर्चा में क्यों ?

14 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी।
- प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ ज़मीन पर कालोनियाँ बसाने की अनुमति दी जाएगी। कालोनियों तक जाने के लिये 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी।
- इस नीति के अंतर्गत ग्राम समाज, सीलिंग या फिर अन्य विभागों की ज़मीन लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने की सुविधा मिलेगी। 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाएँ कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भूउपयोग पर कालोनी बसाने का लाइसेंस मिलेगा।
- ग्राम समाज व अन्य शासकीय भूमि को 60 दिनों में नियमित किया जाएगा। राजस्व संहिता के प्रावधानों के अधीन 5 एकड़ से अधिक भूमि लेने की छूट होगी।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरों में स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, एजुकेशनल हब बनेगा। सभी प्रमुख भवनों की डिजाइन को उच्च कोटि का रखा जाएगा तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को शहर के विकास से जोड़ा जाएगा।
- निजी क्षेत्रों में बसने वाली टाउनशिप में सेक्टर विशेष यानी पार्टवार कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी, जिसके पास सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका नक्शा ही पास किया जाएगा। अगर कंपलीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इसका मकसद अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।
- निजी क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का लाइसेंस लेने के लिये टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक एक एकड़ के लिये 75 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिये। पहले यह 50 लाख रुपए था।
- टाउनशिप का लीड सदस्य भी अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। इसके लिये प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अब प्रति एकड़ 50 हजार से दो लाख रुपए और जीएसटी देना होगा। पहले यह डेढ़ लाख रुपए ही हुआ करता था। लाइसेंस क्षेत्रफल की सीमा में अधिकतम 20 प्रतिशत परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की 75 फीसदी भूमि होने पर अनुबंध किया जाएगा। पहले यह 60 फीसदी ही था। अपरिहार्य परिस्थितियों में रोड नेटवर्क की 20 फीसदी ज़मीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी।
- नई नीति की प्रमुख बातें-
  - एससी/एसटी की ज़मीन लेने पर डीएम की अनुमति ज़रूरी नहीं।
  - चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षैतिज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - पैदल चलने वालों के लिये पर्याप्त फुटपाथ यानी पटरी होगी।

नोट :

- उबड़-खाबड़ या अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा।
- पार्कों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पुलिस स्टेशन के पास पार्किंग सुविधा।
- पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानी के लिये ट्रीटेड जल का उपयोग।
- सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन ज़रूरी।

उत्तर प्रदेश में एकल अभिभावक अफसरों को भी दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को भी दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- जानकारी के अनुसार बाल्य देखभाल अवकाश की मौजूदा व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार इसके लिये अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम-1955 में संशोधन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रूल में प्रस्तावित सभी पाँच संशोधनों पर सहमति दे दी है।
- पुरुष अभिभावक को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के दो बच्चों की पढ़ाई या बीमारी जैसी स्थितियों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस छुट्टी का दुरुपयोग बढ़ गया था। प्रस्तावित बदलाव से इसके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

17 मार्च, 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिये 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने के लिये स्थलों की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश का हरदोई ज़िला भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के हरदोई ज़िले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने से वस्त्रोद्योग से जुड़े सारे कार्य व सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश व लाखों लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
- पीएम मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में बनने वाले पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क होगा। इसके लिये प्रदेश को पाँच अरब रुपए मिलेंगे।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश के सात राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है।
- इन 7 स्थलों को पीएम मित्र पार्कों के लिये 18 प्रस्तावों में से चुना गया था, जो 13 राज्यों से प्राप्त हुए थे। इसके लिये पात्र राज्यों और स्थलों का मूल्यांकन एक पारदर्शी चयन प्रणाली द्वारा किया गया था, जो कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, वस्त्र/उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोगिता सेवाओं आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया गया था।

नोट :

- इसके लिये पीएम गति शक्ति- बहु-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सत्यापन के लिये मोडल कनेक्टिविटी का भी उपयोग किया गया था।
- केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) प्रत्येक पार्क के लिये स्थापित की जाएगी, जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार का जबकि 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा। एसपीवी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
- वस्त्र मंत्रालय पार्क एसपीवी को विकास के लिये पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- पीएम मित्र पार्क में इकाइयों का तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (सीआईएस) भी प्रदान किया जाएगा। मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सम्मिश्रण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को इसके लिये नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। एसपीवी में अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष एवं 2 लाख परोक्ष रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।

एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे प्रदेश के 5 बस अड्डे

चर्चा में क्यों ?

16 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेगी। इसके लिये पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपरों द्वारा पहले चरण में 23 बस अड्डों के विकास की योजना के तहत पाँच बस अड्डों के लिये चयन प्रक्रिया संपन्न की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इन पाँच बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सँवारने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
- इस निवेश के माध्यम से इन पाँचों स्थानों पर 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है। जल्द ही बाकी बचे बस अड्डों के लिये भी निजी डेवलपरों के चयन की कार्रवाई होगी।
- विभाग को फरवरी में समाप्त हुई बिड प्रक्रिया के माध्यम से निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें वे निवेशक भी शामिल हैं, जिन्होंने यूपीजीआईएस में प्रस्ताव दिये थे।
- मुख्य सचिव की अगुवाई वाली कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज और फिर कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि इस माह के अंत तक उन्हें अनुमति पत्र (एलओआई) जारी कर दिया जाएगा।
- जिन पाँच बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किये जाने के लिये डेवलपरों का चयन किया गया है, उनमें कौशांबी बस स्टेशन, लखनऊ का विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज का सिविल लाइंस बस स्टेशन, गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन और आगरा फोर्ट बस स्टेशन शामिल हैं।
- इन बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये ओमेक्स व एसपीजी बिल्डर्स समेत कई अन्य बिल्डर्स की बिड शामिल रही हैं। इनके माध्यम से जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं उनके अनुसार कौशांबी बस स्टेशन में 245 करोड़, लखनऊ के विभूति खंड में 307 करोड़, प्रयागराज के सिविल लाइंस में 276 करोड़, पुराना गाजियाबाद बस स्टेशन में 114 करोड़ और आगरा फोर्ट बस स्टेशन में 22 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- प्रदेश में बस स्टेशन को अब बस अड्डा कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा। अब ये एयरपोर्ट की तरह ही बस पोर्ट कहलाएंगे। परिवहन निगम ने विभागीय कामकाज में इस शब्द का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है।
- इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था होगी, जबकि वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, वेटिंग एरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट जैसी सुविधाएँ भी इसमें विकसित की जाएंगी।
- विभाग की भूमि पर 30 प्रतिशत हिस्से में ये डेवलपर्स मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में इसका संचालन करेंगे। बाकी बचे 70 प्रतिशत स्थान पर बसों का आवागमन और पार्किंग रहेगी। इन बस पोर्ट के मेंटेनेंस का कार्य इन्हीं डेवलपर्स के पास होगा।

नोट :

- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के अलावा एक अन्य श्रेणी में कैटेगरी में भी परिवहन निगम को निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह श्रेणी आईटी से संबंधित है।
- रोडवेज के जीएम (आईटी) यजुवेंद्र कुमार ने बताया कि जिन कंपनियों ने इस श्रेणी में रुचि दिखाई है उनमें एक कंपनी पेटीएम भी है जो एनसीएमसी कार्ड लांच करना चाहती है। यह कार्ड मेट्रो के मंथली कार्ड जैसा होगा, जिससे बार-बार टिकट लेने की आवश्यक्ता नहीं होगी।

प्रदेश के 44 हज़ार प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

19 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक प्रदेश में 44 हज़ार प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीते दिनों की गई समीक्षा में इस लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये गए थे।
- उल्लेखनीय है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले।
- यह मिशन, जिसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में शुरू किया गया है, स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुँच प्रदान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- बेसिक शिक्षा विभाग को दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एआरपी (एकेडमिक रिसोर्स पर्सन) को दिसंबर तक 10 स्कूलों को निपुण बनाना होगा। इस तरह इस वर्ष के अंत तक ही 44 हज़ार से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाना लक्ष्य है।
- इसी तरह शिक्षक संकुलों के लिये जुलाई 2023 तक अपने स्कूलों को निपुण बनाना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से 41 हज़ार से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य है।
- इसके अलावा राज्य के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक ब्लॉक को भी निपुण बनाने के निर्देश दिये गए हैं। इस तरह दिसंबर 2023 तक 75 ब्लॉक को निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
- निर्देशों के साथ-साथ टूलकिट भी तय की गई है। इसके तहत निर्देशिका में उल्लेखित लेसन प्लान को 100 प्रतिशत कक्षाओं में लागू करना होगा। निपुण तालिका के द्वारा 100 प्रतिशत स्कूल बेस्ड असेसमेंट पूर्ण करना होगा।
- इसके अलावा मेंटर्स के द्वारा स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा, जबकि डायट स्टूडेंट्स द्वारा स्पॉट असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने अवगत कराया कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ज़िलों में नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में नई जेलों के निर्माण के लिये प्रदेश के 11 ऐसे ज़िले चिह्नित किये गए हैं, जहाँ पर अभी कोई जेल नहीं है।
- जानकारी के अनुसार अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही और शामली में नईं जेल बनेगी।
- आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और नौ ज़िलों में दूसरी जेल के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है जबकि कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिये सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए भारी भरकम बजट जारी कर दिया है।

नोट :

- इन जेलों को वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य दो से पाँच साल निर्धारित किया गया है।
- विदित है कि वर्तमान में प्रदेश की केंद्रीय और ज़िला कारागार समेत कई कारागार में क्षमता से अधिक बंदी हैं। ऐसे में जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने और बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को देखते हुए नई जेलों की आवश्यकता है।
- विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि वर्तमान में सात केंद्रीय कारागार में 13,669 बंदियों की क्षमता है जबकि यहाँ पर 15,201 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 111 प्रतिशत है।
- इसी तरह 62 ज़िला कारागार में 49,107 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 95,597 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 194 प्रतिशत है। वहीं 2 उप कारागार में 306 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 664 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 216 प्रतिशत है। महिला केंद्रीय कारागार में 120 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 148 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 123 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने किया ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यह चैंपियनशिप 25 मार्च तक चलेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 10 साल के बाद राज्य को अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स मीट का आयोजन करने का मौका मिला है। इस आयोजन के लिये सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने शुरुआत की है।
- इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 32 टीमों से 1300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहें हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य खेल-कूद की गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ा है। यहाँ सांसद खेल-कूद का आयोजन हो रहा है। 2 से 5 हज़ार खिलाड़ी रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ते है।
- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य में सरकारी सेवाओं में 500 खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी।

नोट :

उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी स्थलों को एंशियंट मान्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट-1904 की धारा-3 के अधीन संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है। ये स्थल प्रदेश के छह ज़िलों में स्थित हैं।
- राज्य पुरातत्त्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित 18 स्मारकों या स्थलों में जनपद झाँसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुश मड़िया, चंपतराय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला बंजारों का मंदिर, बेर, पिसनारी दायी मड, पठामढ़ी, टहरौली का किला, दिगारा गढ़ी तथा राम जानकी मंदिर शामिल हैं।
- इसी प्रकार संतकबीरनगर जनपद के कोट टीला, प्रयागराज स्थित रानी का तालाब, इष्टिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर, गंगोला शिवाला, जनपद महोबा स्थित शिव तांडव, खंकरा मठ, जनपद फर्रुखाबाद स्थित प्राचीन शिवमंदिर तथा इटावा में स्थित शिव मंदिर (टिक्सी टेम्पिल) को संरक्षित घोषित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट-2023 का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

24 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट - 2023 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- वन वर्ल्ड टीबी समिट - 2023 में कई राज्यों के राज्यपाल, अनेक राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए।
- इस कार्यक्रम में कंपनियों, उद्योगों, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों और टीबी चैंपियंस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पाँच साल पहले 2025 तक इस अत्यधिक संक्रामक बीमारी को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- प्रधानमंत्री ने 'वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023' का विमोचन किया, जो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में देश के प्रयासों का संकलन है।
- कार्यक्रम में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। यह मॉड्यूल भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिये विकसित किया गया है।
- प्रधानमंत्री ने टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी से जुड़े कलंक को खत्म करने और सेवाओं की निगरानी और सुधार में मदद करने के लिये 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के समर्थन का लाभ उठाने के लिये टीबी-मुक्त पंचायत पहल की भी शुरुआत की तथा टीबी के संक्रमण को रोकने के लिये एक नए उपचार के तौर पर प्रीवेंटिव थेरेपी भी शुरू की गई है जिससे रोग के प्रसार को रोका जा सके।
- इसके अलावा टीबी से प्रभावित परिवारों का हित सुनिश्चित करने के लिये एक परिवार-केंद्रित देखभाल मॉडल की भी घोषणा की गई।
- नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला भी रखी और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के लिये साइट का उद्घाटन किया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टीबी को खत्म करने के प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्त्वपूर्ण प्रगति करने के लिये राज्यों और ज़िलों को भी सम्मानित किया। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को सम्मानित किया गया और नीलगिरी (तमिलनाडु), पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) को ज़िला स्तर के पुरस्कार दिये गए।

नोट :

- कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस (एनआईआरटी) जैसे आईसीएमआर संस्थानों ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय टीबी संक्रमण सर्वेक्षण पूरा किया है, जिसने लक्षित कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के लिये राज्य स्तर पर टीबी के बोझ को समझने में मदद की है।
- उप-राष्ट्रीय प्रमाणन (एसएनसी) कार्य को लागू करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। यह एक अभिनव वैज्ञानिक पद्धति है,जिसके माध्यम से ज़िलों को उनके उन्मूलन की प्रगति के लिये सत्यापित किया जाता है।
- प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि टीबी रोगियों के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत 75 लाख से अधिक टीबी रोगियों के खाते में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि ट्रांसफर की गई है।
- गौरतलब है कि मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि शेष विश्व में 2030 तक टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन-1962 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

26 मार्च, 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रुपाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना' के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन-1962 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- वेटरनरी यूनिट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पशुओं के लिये भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरु करना तथा असहाय पशुओं के लिये 108 डायल कर एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करायी गई है। जिस तरह मानव बीमारी के लिये सबकी जुबां पर एम्बुलेंस की सुविधा के लिये 108 है उसी तरह अब सभी जानवरों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 1962 हेल्पलाइन शुरु की गई है।
- केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में नं. 1 है और उत्तर प्रदेश भारत में नं. 1 पर है। भारत के विश्व में सबसे आगे होने का कारण उत्तर प्रदेश का भारत में नं. 1 होना है।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स उपलब्ध कराई गईं तथा प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिये 6,600 से अधिक गो-आश्रय स्थल स्थापित किये गए हैं।
- अब मोबाइल वेटरनरी वैन प्रदेश के 05 ज़ोन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी।
- विदित है कि प्रदेश में कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं, उनमें से 11 लाख गोवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है।

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को 'कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स' का दर्जा मिला

चर्चा में क्यों ?

26 मार्च, 2023 को पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (पीटीआर) के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि बाघों के संरक्षण, रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिये पीटीआर को एनटीसीए की ओर से 'कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स' का दर्जा मिला है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से देश के छह टाइगर रिज़र्व को बाघों के संरक्षण, रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिये 'कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स' (सीएटीएस) का दर्जा दिया गया है। इनमें पीटीआर भी शामिल है।
- जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनटीसीए के सहायक आईजीएफ हेमंत सिंह की ओर से पत्र जारी कर देश के छह टाइगर रिज़र्व- काली, मेलघाट, ताडोबा-अंधेरी, नवेगाँव-नगजीरा, पेरियार और पीलीभीत को सीएटीएस का दर्जा दिया गया है।

नोट :

- गौरतलब है कि पीलीभीत को वर्ष 2014 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में बाघों की संख्या मात्र 25 थी। टाइगर रिज़र्व बनने के बाद जंगल के अनुकूल वातारण के साथ बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार काम हुए। नतीजा यह रहा कि वर्ष 2020 में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। इस उपलब्धि के लिये पूरे विश्व में पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की चर्चा भी हुई।
- विदित है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) में पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिस मिंडोरी पैक्सटन की ओर से नवंबर 2020 को पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टाइगर एक्स टू अवार्ड दिया गया था।
- इस अवार्ड की खास बात यह थी कि विश्व के 13 ऐसे देश, जहाँ बाघ पाए जाते हैं, इन देशों में सिर्फ भारत के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को बाघों की संख्या बढ़ाने पर यह अवार्ड मिला था। इसके बाद बाघों की बढ़ती संख्या का असर भी देखा गया। जंगल और उसके बाहर के इलाकों में बाघों की सक्रियता बढ़ गई। हालाँकि पूर्व की अपेक्षा मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आई।
- उल्लेखनीय है कि 'कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स' की अधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में शुरूआत की गई थी। इसके तहत सात मानक स्तंभों और 17 मूल तत्त्वों पर आधारित लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिये मानदंड तय किये जाते हैं। इसके तहत बाघों के संरक्षण के क्षेत्र को जाँच और परखने का अवसर दिया जाता है।

मनरेगा मजदूरों के लिये नई दरों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मनरेगा कार्यालय के अपर आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिये नई दरों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को भी अब 213 की जगह 230 रुपये मजदूरी दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मनरेगा मजदूरों के लिये घोषित नई दरों के अंतर्गत प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूरों को एक अप्रैल से उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी 17 रुपये अधिक मिला करेगी।
- प्रदेश में अब यदि कोई मनरेगा मजदूर महीने में लगातार 30 दिन काम करेगा तो उसे मिलने वाली कुल मजदूरी में 510 रुपये का इजाफा हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब 3.20 करोड़ जाब कार्ड धारक मनरेगा मजदूर हैं। इनमें से करीब 1.62 करोड़ मजदूर सक्रिय रहते हुए मनरेगा का काम कर रहे हैं।
- कोरोना वर्ष 2020-21 के दौरान प्रवासी मजदूरों के बाहर से लौट आने पर गाँवों में रोज़गार की मांग बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण 39.45 लाख मानव दिवस इस वर्ष काम के लिये सृजित करना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 2021-22 में 32.56 करोड़ और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 31 करोड़ मानव दिवस पर मजदूरों ने काम किया।
- विदित है कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से निर्धारित कामों से अलग हटकर इस योजना से उत्तर प्रदेश में पाँच नये काम शुरू कराए हैं, जिसमें नदियों का पुनरुद्धार, महिला समूहों द्वारा सूचना पटो का निर्माण, महिला समूहों की महिलाओं को मनरेगा में मेट बनाया जाना, बैंकिंग करेस्पांडेट सखी द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान तथा ज़िलों में हाईटेक नर्सरी निर्माण का काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में लागू होगी कबाड़ नीति

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के मानक को आधार बनाकर कबाड़ नीति लागू करने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है, जिसके तहत राज्य में एक अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी यह कबाड़ नीति लागू हो रही है।
- इस नीति में यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे लगभग 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसका

नोट :

दाम मिलेगा। वाहन के कुल वज़न का 65 प्रतिशत हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90 प्रतिशत का ही भुगतान होगा।

- इस नीति में एक अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। इसमें राज्य सरकार के सभी 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ करना होगा। इसके लिये सरकार ने दो लक्ष्य तय किये हैं।
- पहले लक्ष्य में, सभी इस अवधि के सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करना है, जिसमें सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकाय, उपक्रमों आदि के वाहनों को लेना है। दूसरे लक्ष्य में, निजी वाहनों को लाना होगा जिनके लिये स्वैच्छिक रूप से नीति तय की गई है। यानी वह यदि चाहें तो इस नीति का लाभ उठा सकते हैं।
- पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू हो गया है। सभी निजी संचालक हैं।
- अभी निजी वाहनों की आयु तय नहीं की गई है। 15 साल बाद ऐसे वाहन की फिटनेस करानी होती है। यदि वह फिट है तो उसका पंजीकरण अगले पाँच साल के लिये रिन्युअल हो जाता है। ऐसे ही निजी व्यावसायिक वाहन ट्रक आदि का भी हर दो साल में फिट होने की स्थिति में रिन्युअल होता रहता है।
- विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम समाप्त कर दिया गया है। वहाँ पेट्रोल चलित वाहन की उम्र 15 साल और डीजल वाहन की उम्र 10 साल तय कर दी गई है। इसके बाद उनका पंजीकरण रिन्युअल नहीं होगा। या तो उन्हें एनसीआर से बाहर ले जाना होगा या कबाड़ में बेचना होगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश भर में 203 सरकारी कार्यालयों ने अब तक अपने 15 साल पुराने वाहनों की सूचना भेज दी है। इनमें 3367 वाहन ऐसे हैं जो 15 साल से पुराने हैं। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में ऐसे वाहन हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुल 397 वाहन ऐसे हैं। इनमें से 366 वाहन तो 15 साल पुराने हैं जो अभी चल रहे हैं जबकि 31 वाहन बीस साल से ज्यादा पुराने हैं।
- यदि इस नीति में कोई अपनी 15 साल पुरानी बाइक कबाड़ में बेचता तो उसे लगभग 2500 रुपए मिलेंगे। यदि बाइक का वजन 180 किलो है तो उसका वजन 65 प्रतिशत माना जाएगा। इसी तरह से यदि कोई अपनी 15 साल पुरानी एसयूवी कार देने लगे और उसका वजन 2000 किलो हो तो उसका कुल वजन 1200 किलो माना जाएगा। उसे 25740 रुपए दिये जाएंगे।
- हालाँकि स्क्रैप सेंटर से इसका एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा जिससे दिखाकर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन कराने पर छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के निकाय चुनाव के लिये ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रस्ताव सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इन प्रस्तावों में किसानों को बड़ी राहत देने वाले कई प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही छात्रों को सौगात दी गई है। टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीद के प्रस्ताव को भी मुहर लगी है तथा बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में मंजूर किये गए अन्य प्रस्ताव-
  - इलेक्ट्रिक वाहनों एवं पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर शुल्क एकमुश्त छूट के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव मंजूर हुये हैं। वाहनों को किसी भी ज़िले में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दे दी गई है।
  - स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्ट फोन बांटने के लिये कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज़ को मंजूरी दी गई है। यह योजना पाँच सालों के लिये लागू की गई है।
  - प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी के उपचार और रसायनों की खरीद के लिये ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इस प्रस्ताव के तहत पेड़ी प्रबंधन और मृदा उपचार को एक कर दिया गया। पहले पेड़ी प्रबंधन व मृदा उपचार दो अलग-अलग विषय हुआ करते थे। साथ ही सब्सिडी की दर 1800 प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत यानी 900 रुपए निर्धारित की गई है। पहले यह प्रति एकड़ न्यूनतम 150 और अधिकतम 500 रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी।
  - उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मेरठ ज़िले में स्थित मोहियुद्दीनपुन चीनी मिल में डिस्टलरी लगाई जाएगी। 60 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली यह डिस्टलरी बी. हैवी शीरे पर आधारित होगी।

नोट :

- अमरोहा ज़िले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इस मिल में 2500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता का विस्तार करते हुए इसे 4900 टन प्रतिदिन की क्षमता तक ले जाने के लिये नया प्लांट लगेगा।
- प्रदेश में गौवंश और उसमें भी अधिकांशत: गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिये पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिये पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिये जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब और कम कर दी है। अब सभी ज़िलों में इसकी लेवी दर 100 रुपए प्रति डोज कर दी गई है।
- आगामी दिनों में बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भरता कम करने के लिये राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए राज्य में ग्रीन कॉरीडोर-2 विकसित करेगी, जिसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जो सोलर परियोजनाएँ लगाई जानी हैं, उसके तहत कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे। उसमें चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन में 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
- प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11 हज़ार खिलाड़ियों को 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान' में सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि पाँच लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस योजना में पहली बार 11 हज़ार पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
- शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएँ देने के लिये स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- प्रदेश सरकार मछुआ व मल्लाह समुदाय के लिये 'निषादराज बोट सब्सिडी योजना' शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन की नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिये सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 15 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन की नाव खरीदने पर अधिकतम 67 हज़ार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हर साल तीन हज़ार नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ प्राथमिकता के स्तर पर अंत्योदय कार्ड धारक, आवासहीन और केवट मल्लाह समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।

एकेटीयू के छात्रों ने बनाया मशीन लर्निंग वाला रोबोट

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा ने बताया कि एकेटीयू ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है, जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- इस तकनीक को एकेटीयू के इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया है।
- एकेटीयू के एसोसिएट डीन ने बताया कि मशीन लर्निंग तकनीक वाले रोबोट न केवल उंगलियों के इशारों पर चलेंगे बल्कि प्रोग्राम किये गए सभी कार्यों को भी करेंगे। अलग-अलग विकलांग लोग, विशेष रूप से दृष्टिबाधित, बहरे व मूक और वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कार्यों के लिये रोबोट का उपयोग कर सकते हैं।
- इस तकनीक को कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। इसमें अगर दाहिने हाथ की उंगलियों वाले एक से ज्यादा रोबोट हैं तो उनका चयन किया जाएगा। उदाहरण के लिये, जिस रोबोट की जानकारी अंगूठे पर दर्ज है, वह चालू हो जाएगा। इसी तरह रोबोट अन्य उंगलियों पर भी काम करेगा।
- रोबोट को कंप्यूटर और डेस्कटॉप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। रोबोट के चयन के लिये दाहिने हाथ की उंगली जबकि बाएँ हाथ का उपयोग निर्देशों के लिये किया जाएगा, जैसे- रोबोट को अंगूठे और अन्य का उपयोग करके पंखे को चालू करने के लिये कहना।

नोट :